राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

वाद संख्या–56 / 2024

सरिता शर्मा बनाम् संतोष कुमार यादव।

25.09.2025 इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–23.09.2025 को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह एवं उनके वरीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री संतोष कुमार यादव वर्तमान में नगर पंचायत जगदीशपुर के मुख्य पार्षद हैं, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री संतोष कुमार यादव द्वारा अपनी निरर्हता छिपाने हेतु अपनी एक बेटी को अपने भाई की बेटी बताते हैं। उनके द्वारा अपने वाद–पत्र में यह भी दावा किया गया है कि श्री यादव काफी समृद्ध एवं प्रभावशाली है, अतः इस तथ्य को छुपाने में कामयाब रहे है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने वाद–पत्र में संलग्न प्रतिवादी श्री संतोष कुमार यादव की भाई के पारिवारिक–सूची का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा पारिवारिक–सूची में अंकित **"प्रीति कुमारी"** को श्री संतोष कुमार यादव की पुत्री होने का दावा किया गया, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वाद के निष्पादन हेतु **"प्रीति कुमारी"** के पितृत्व के निर्धारण हेतु उसका DNA Test कराया जाए। DNA Test में होने वाले सभी आर्थिक व्यय का वहन उनके मुवक्किल द्वारा किया जाएगा।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि समान विषय एवं तथ्य पर **वाद संख्या–10 / 2023** को जिला प्रशासन की तरफ से आयोग को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत, Unimpeachable साक्ष्य न होने के अभाव में इस वाद का अंतिम रूप से निष्पादन हो चुका है तथा वादी के दावें को अस्वीकृत कर दिया गया। अतः यह वाद आयोग के न्यायालय में Maintainable **नहीं है तथा इसमें** Res Judicata के Principle के तहत यह वाद आयोग के समक्ष सुनवाई से प्रतिबंधित है।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि इस वाद के वादी मुकेश कुमार की तरफ से पूर्व में वाद संख्या–10 / 2023 में शपथ–पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि **"मैने राजनीतिक द्वेष व उनके विरोधियों के बहकावें में आकर संतोष कुमार यादव पर मुकदमा किया है तथा मेरे पास संतोष कुमार यादव के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।"** आगे उनके द्वारा बताया गया कि इस वाद के वादी पूर्व में मुख्य वार्ड पार्षद के पद पर रह चुके हैं तथा वाद संख्या–24 / 2020(संतोष कुमार यादव बनाम् मुकेश कुमार उर्फ गुड्डु) में आयोग द्वारा मुकेश कुमार के विरूद्ध जिला सत्र न्यायालय के द्वारा IPC की धारा–302 के तहत आजीवन कारावास सजा दिये जाने उपरांत इन्हें पदमुक्त कर दिया गया था। अतः वादी द्वारा राजनीतिक द्वेष में पुनः वाद दायर किया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि आयोग में वाद संख्या–10 / 2023 के निष्पादन के बाद Same Set of Facts **के आधार पर वादी द्वारा** C.W.J.C. No. 281/2024 **दायर किया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद को खारिज कर दिया।**

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो उनके दावें को सिद्ध कर सके। वह केवल उनके मुवक्किल को परेशान

करने के नियत से स्वयं अथवा अपने मातहतों से भिन्न–भिन्न फोरम पर वाद दायर कराते है। इसी कारण उनके द्वारा वादी के ऊपर झूठे शपथ–पत्र के आधार पर वाद दायर करने हेतु कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विगत् सुनवाई दिनांक–09.09.2025 को स्वास्थ्य कारणों से आयोग में समय की याचना हेतु अपने सहयोगी अधिवक्ता को भेजा गया था, जबकि स्वयं वह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. 14213/2025 में उपस्थित रहे और वहाँ इस वाद (वाद संख्या–56/2024) को निष्पादित करने का आदेश आयोग के विरूद्ध प्राप्त किया गया, जिसका प्रभावकारी अंश पारा–03 में अंकित है, जो निम्नवत् है:–

"3. Considering the nature of prayer made in this writ application, the same is disposed with direction to the respondet no.2 to dispose the Election Petition No. 56/2024 in accordance with law within a period of four months from today."

अंत में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि Same Set of Facts पर वादी बदल–बदल कर उनके मुवक्किल पर वाद दायर किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि विचाराधीन वाद के सभी तथ्य आयोग द्वारा पूर्व से निष्पादित वाद संख्या–10/2023 (गणेश कुमार एवं मुकेश कुमार बनाम् संतोष कुमार यादव) हू–ब–हू समान है। वादी द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य या Unimpeachable साक्ष्य नहीं लाया गया है, जिससे वाद को स्वीकार किया जा सके तथा Res-Judicata के वैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध वाद की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकें, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष–2017 एवं वर्ष–2022 के नामांकन–पत्र के सत्यापित प्रति के अवलोकन से वादी का दावा प्रमाणित नहीं होता है। अतएव उक्त वर्णित स्थिति में वाद को खारिज किया जाता है।

यदि वादी, प्रतिवादी के संतान के पितृत्व के संबंध में संबंध में किये जा रहे दावें से शत–प्रतिशत आश्वस्त है, तो वह नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। यदि सक्षम न्यायालय में वादी के पक्ष में परिणाम प्राप्त होता है, तो वह पुनः आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकते है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
25.09.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
25.09.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–56/2024 3888 पटना, दिनांक– 25.9.25

.प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

25/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी